भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

तदर्थ छूट आदेश संख्या 4/2021-सीमाशुल्क

नई दिल्ली, दिनांक 3 मई 2021

सा.का.नि ... (अ). सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कोविड-19 महामारी के कारण व्याप्त आपवादिक परिस्थितियों के अंतर्गत, आशवस्त होने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, केंद्रीय सरकार एतद्वारा ऐसे माल, जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में सूचीबद्ध अधिनियमों में विनिर्दिष्ट है और जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय, शीर्ष, उप-शीर्ष अथवा टैरिफ मद के अंतर्गत आते हैं जो उक्त अधिनियमों में विनिर्दिष्ट हैं, पर एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 के साथ पठित उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (7) के अंतर्गत उद्ग्रहणीय संपूर्ण एकीकृत कर से, जब वह भारत में आयातित हो, इस छूट आदेश के उपबंध में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन, छूट प्रदान करती है ।

2. यह छूट आदेश 30 जून, 2021 तक, जिसमे यह तारीख भी शामिल है, लागू रहेगा और ऐसे माल पर भी लागू होगा जिसकी निकासी इस आदेश के जारी होने की तारीख पर लंबित है ।

परिशिष्ट

क्र. सं.	अधिसूचना
1.	अधिसूचना संख्या 27/2021-सीमाशुल्क दिनांक 20 फरवरी, 2021 [सा.का.नि. 284(अ), दिनांक 20 फरवरी, 2021]
2.	अधिसूचना संख्या 28/2021-सीमाशुल्क दिनांक 24 फरवरी, 2021 [सा.का.नि. 286(अ), दिनांक 24 फरवरी, 2021]

उपबंध

शर्त सं.	शर्त
1.	उक्त माल कोविड से राहत के उद्देश्य से किसी राज्य सरकार, या किसी राज्य सरकार द्वारा इस उद्देश्य हेतु प्राधिकृत इकाई, राहत संस्था अथवा सांविदिक निकाय द्वारा, बिना मूल्य के आयातित है ।
2.	उक्त माल विदेश से कोविड से राहत के लिए निशुल्क वितरण हेतु प्राप्त हुआ है ।

3.	आयातकर्ता माल की निकासी के पूर्व, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त नोडल प्राधिकारी से जारी किया हुआ एक प्रमाणपत्र सीमा शुल्क उपायुक्त या सहायक आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत करता है, कि आयातित माल कोविड से राहत के लिए राज्य सरकार या इकाई, राहत संस्था अथवा सांविदिक निकाय, जैसा की उक्त प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट हो, द्वारा निशुल्क वितरण हेतु है ।
4.	आयातकर्ता आयत के पत्तन पर, सीमा शुल्क उपायुक्त या सहायक आयुक्त के समक्ष, आयात की तारीख के छह माह, अथवा अधिकतम नौ माह तक की विस्तारित अवधि जिसे उक्त सीमा शुल्क उपायुक्त या सहायक आयुक्त अनुज्ञात करे, के भीतर निशुल्क वितरित माल का विवरण, जो कि राज्य सरकार के उक्त नोडल प्राधिकारी द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित हो, प्रस्तुत करेगा ।

[फाइल संख्या सीबीआईसी-190354/2/2021-टीओ(टीआरयू-I)-सीबीईसी]

गौरव सिंह

(गौरव सिंह)

उपसचिव, भारत सरकार